न्यायालय– सचिव–सह–रिविजन प्राधिकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–04/2023

प्रमोद चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद प्रमोद चौधरी, पिता–नथुनी चौधरी, पश्चिम चम्पारण द्वारा वाद संख्या–सी0 आर0 एम0–742/2021–22 में समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय से दिनांक–24.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–15.01.2021 को वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने सहयोगी वनकर्मी एवं गनौली वन प्रक्षेत्र के वन कर्मियों/वनरक्षियों के साथ वन गश्ती करते हुए पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के वन कक्ष संख्या–M-27 में चुन्नु ठाकुर उर्फ अजय कुमार ठाकुर के खेत के समीप पहुँचे तो देखे की एक जे.सी.बी. मशीन द्वारा ब्याघ्र आरक्ष्य की सीमा पर वनभूमि से मिट्टी काटकर ट्रैक्टर पर लोड किया जा रहा था। गश्ती दल को नजदीक आते देख जे.बी.सी. मशीन एवं ट्रैक्टर को वन सीमा से बाहर लाकर सभी अभियुक्त जंगल झाड़ी का लाभ लेकर भागने में सफल रहें। भाग रहे अभियुक्तों की पहचान स्थानीय वनकर्मियों द्वारा कर ली गई, जिनका नाम एवं पता जप्ती सूची में अंकित है। तत्पश्चात् वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा घटना स्थल पर लौटकर एक अदद् जे.सी.बी. मशीन एवं ट्रैक्टर (ट्रौली सहित) जप्त किया गया।

घटना स्थल पर ही भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 52 (1) के तहत जप्ती की कार्यवाही की गयी। वन अपराधियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा 33 (C), 41, 42, 52, 63, 66 (A) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा–19 तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा–2, 17, 27, 29, 31 एवं 51 (A) के तहत उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। इस जप्ती की सूचना प्रभारी वनपाल ने अपने पत्रांक–11, दिनांक–15.01.2021 द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार

न्यायालय बगहा को भेजा, जिसकी प्रतिलिपि वन क्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल–2 को भी प्रेषित की गई। वन क्षेत्र पदाधिकारी, वाल्मीकिनगर के ज्ञापांक–22, दिनांक–16.01.2021 के आलोक में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–2 के द्वारा जप्ती सूची में उल्लेखित वाहन जे.सी.बी. मशीन इंजन नम्बर–H00207587 एवं ट्रैक्टर (ट्रौली सहित) पंजीयन संख्या– शून्य है तथा मॉडल नम्बर–MF1035DI, ENGINE NO.-53371B47549 CHASSIS NO.-MEA665A1KL2318543 के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–52 (2) के तहत अधिहरण वाद सं0–03/2021: राज्य बनाम राकेश कुमार एवं अन्य दर्ज की गयी एवं अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। एतद् संबंधित सूचना अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, बगहा, पश्चिम चम्पारण को पत्रांक–167, दिनांक–23.01.2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई।

अधिहरण वाद सं0–03/2021: राज्य बनाम राकेश कुमार एवं अन्य में सुनवाई पूरी करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर के अधिहरण न्यायालय द्वारा दिनांक–02.09.2021 को भारतीय वन (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) अधिनयम 1927 की 33 (C), 41, 42, 52, 63, 66 (A) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा–19 तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा–2, 17, 27, 29, 31 एवं 51 (A) के उल्लंघन के आरोप में भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम–1989 की धारा 52(3) के अंतर्गत जे.सी.बी. मशीन इंजन नम्बर–H00207587 एवं ट्रैक्टर (ट्रौली सहित) पंजीयन संख्या–शून्य है, मॉडल नम्बर–MF1035DI, ENGINE NO.-53371B47549 CHASSIS NO.-MEA665A1KL2318543 को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर के न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक–02.09.2021 के विरूद्ध प्रमोद चौधरी द्वारा समाहर्त्ता, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय में वाद सं0–सी०आर०एम०–742/2021–22:

प्रमोद चौधरी बनाम सरकार तथा मदन साह द्वारा वाद सं0– सी०आर०एम०–743/2021–22: मदन साह बनाम सरकार दायर किये गये। उक्त वादों में समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–24.04.2023 को संयुक्त आदेश पारित करते हुए अपील वादों को अस्वीकृत किया गया।

समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–24.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रमोद चौधरी, पिता–नथुनी चौधरी, पश्चिम चम्पारण द्वारा सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजन वाद सं0–04/2023: प्रमोद चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मामले की सुनवाई विभिन्न तिथियों को की गयी। मामले की अंतिम सुनवाई 31.05.2024 को की गयी एवं आदेश सुरक्षित रखा गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल रिविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद सं0–सी०आर०एम०–742/2021–22 में दिनांक–24.04.2023 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर के अधिहरण न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद सं0–03/2021; बिहार सरकार बनाम राकेश कुमार में दिनांक–02.09.2021 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं उनके बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. दिनांक–15.01.2021 को पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, गनौली वन प्रक्षेत्र तथा गनौली वन प्रक्षेत्र के वनरक्षियों द्वारा बाल्मीकि ब्याघ्र आरक्ष के वन कक्ष सं0–M–27 में चुन्नु ठाकुर उर्फ अजय ठाकुर के खेत के समीप वन सीमा से बाहर अवैध मिट्टी कटाई के आरोप में रिविजनकर्त्ता का जे.सी.बी. जप्त किया गया। मिट्टी कटाई में संलिप्त व्यक्तियों को नहीं पकड़ा जा सका।

2. मिट्टी कटाई से संबंधित घटना स्थल वन सीमा के भीतर है, यह निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं किया जा सका है। साथ ही काटी गयी मिट्टी का

परिमाण तथा प्रभावित भूमि के परिमाप के संबंध में कोई तथ्य एवं कोई नजरी नक्शा नहीं दिया गया है।

3. चुन्नु ठाकुर उर्फ अजय ठाकुर के जिस खेत में से मिट्टी काटकर समतल बनाने का एकरार ठेकेदार अमित कुमार से किया गया था, वह वन सीमा से 02 कि0मी0 दूर है।

4. प्रस्तुत मामले में सन्निहित अनाधिकृत गतिविधियाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–19 से आच्छादित हो सकती है, यदि बाल्मीकि ब्याघ्र आरक्ष का पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) अधिसूचित नहीं हुआ है तथा यदि ESZ अधिसूचित हुआ है तो इसके अंतर्गत Permitted/ Regulated/Restricted गतिविधियों के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार वर्तमान मामले का विनिश्चयन किया जाना होगा। ESZ Notification की स्थिति स्पष्ट नहीं किये जाने के आलोक में मामला संदिग्ध हो जाता है। साथ ही ESZ Notification का उल्लंघन होने पर कार्यवाही विहित प्रक्रियान्र्तगत सक्षम court of law में चलेगा ना कि प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालय में।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में रिविजनकर्त्ता पर रु0 25,000/– (पच्चीस हजार रुपया) मात्र का जुर्माना अधिरोपित करते हुए उनके जे. सी.बी. मशीन को विमुक्त करने का अदेश दिया जाता है कयोंकि जे.सी.बी. का उपयोग वन अनराध में रोकने हेतु उनके द्वारा पर्याप्त व्यवसथा नहीं की गई है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह0/–
03.04.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–04 / 2023................ / प०व०ज०प०   पटना–15 दिनांक–............

प्रतिलिपि– श्री प्रमोद चौधरी, पिता–नथुनी चौधरी, ग्राम– हरपुरवा–बगही, थाना–योगापट्टी, जिला–पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–04 / 2023................ / प०व०ज०प०   पटना–15 दिनांक–............

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया / वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, बाल्मिकी ब्याघ्र आरक्ष, डिवीजन–2 बाल्मिकी नगर, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–04 / 2023 1638 / प०व०ज०प०   पटना–15 दिनांक– 08/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/4/25

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी